पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 16, 1937, शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	357–363	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	313–335	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	185–201	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

संशोधित तैनाती

27 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 2275/XXVIII–2/01(100)2010–एतद्द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2प/रा0पु0/10/2014/27870, दिनांक 31.10.2014 एवं शासन की अधिसूचना संख्या–1344/XXVIII–2/01(100)2010, दिनांक 14.08.2014 के क्रम में, डा0 अजीत मोहन जौहरी, चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 की, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए, उन्हें अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, अदवानी, पौड़ी में तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासन की पूर्व वर्णित अधिसूचना दिनांक 14.08.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

22 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 820/X–1–2015–04(24)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी), पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव	1997	01 जनवरी, 2010
2.	श्री प्रेम कुमार	1997	01 जनवरी, 2010
3.	श्री दिनेश राम	1997	01 जनवरी, 2010
4.	श्री गिरधारी सोनार	1997	01 जनवरी, 2010
5.	श्री जन्मेजय सिंह	1998	01 जनवरी, 2011
6.	श्री अशोक	1998	01 जनवरी, 2011
7.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	2001	01 जनवरी, 2014
8.	श्री घनश्याम राय	2001	01 जनवरी, 2014
9.	श्री सनातन	2001	01 जनवरी, 2014
10.	श्री अशोक कुमार मेहर	2001	01 जनवरी, 2014
11.	श्री इन्द्रपाल सिंह	2001	01 जनवरी, 2014
12.	श्री सी0के0 कविदयाल	2001	01 जनवरी, 2014
13.	श्री गिरीश कुमार रस्तोगी	2001	01 जनवरी, 2014

विज्ञप्ति / पदोन्नति

22 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 821 / X–1–2015–04(24) / 2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से वन संरक्षक, पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव	1997	संवर्ग में आसन्न कनिष्ठ अधिकारी की वन संरक्षक, श्रेणी में प्रोन्नति की तिथि दिनांक 13.02.2013 से आभासी रूप से एवं वास्तविक प्रोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
2.	श्री प्रेम कुमार	1997	–तदैव–
3.	श्री दिनेश राम	1997	–तदैव–
4.	श्री गिरधारी सोनार	1997	–तदैव–

2. भारतीय वन सेवा के उपर्युक्त अधिकारियों को उक्त श्रेणी में आभासी तौर पर प्रोन्नति / नियुक्ति की तिथियों एवं वास्तविक रूप से प्रोन्नति / नियुक्ति की तिथियों के मध्य की अवधि के सापेक्ष बनने वाले वेतन अवशेष सम्बन्धी धनराशि (Arrears of Pay), यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा किन्तु वेतन निर्धारण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों हेतु उक्त अवधियों का लाभ नियमानुसार देय होगा।

3. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

24 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 822 / X–1–2015–04(24) / 2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी), पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4
1.	डॉ0 पराग मधुकर धकाते	2002	01 जनवरी, 2015
2.	श्री सुशान्त कुमार पटनायक	2002	01 जनवरी, 2015
3.	डॉ0 तेजस्विनी पाटिल	2002	01 जनवरी, 2015

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या 88/15–XIX–2/39 खाद्य/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **दिनाँक : देहरादून : 24 अप्रैल, 2015**

विषय : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा), उत्तराखण्ड के संगठनात्मक/विभागीय ढाँचे को संशोधित किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–74/खाद्य/वि0ढांचा/2002, दिनाँक 05–08–2002, जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे में पदों का सृजन एवं संशोधित शासनादेश संख्या–1145/XIX/वि0ढाँचा/6–132/2002, दिनाँक 14–09–2006, जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे में अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा में सृजित निरीक्षक संवर्ग से उच्च पदों के वेतनमानों को वेतन विसंगति समिति की 26वीं बैठक की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 65/xxvii(7) 40(26)/2015, दिनांक 17.04.2015 के द्वारा निम्नानुसार संशोधित करते हुए उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम/ स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान वेतन संरचना के सादृश्य वेतन बैण्ड		संशोधित पदनाम एवं पदों की संख्या	संशोधित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड
1.	विपणन निरीक्षक/126	₹ 5,200–20,200 (वेतनबैण्ड–1) ग्रेड वेतन ₹ 2,800		विपणन निरीक्षक/100	₹ 9,300–34,800 (वेतनबैण्ड–2) ग्रेड वेतन ₹ 4,200
2.	वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/47	₹ 9,300–34,800 (वेतनबैण्ड–2) ग्रेड वेतन ₹ 4,200		वरिष्ठ विपणन अधिकारी/40	₹ 9,300–34,800 (वेतनबैण्ड–2) ग्रेड वेतन ₹ 4,600
3.	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/07	₹ 9,300–34,800 (वेतनबैण्ड–2) ग्रेड वेतन ₹ 4,600		उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/07	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 5,400
4.	सम्भागीय विपणन अधिकारी/02	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 5,400		सम्भागीय विपणन अधिकारी/02	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 6,600
5.	सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/02 (आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग से)			सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/02 (आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग से)	
6.	–	–		उप मुख्य विपणन अधिकारी/01	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 7,600
7.	मुख्य विपणन अधिकारी/01	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 6,600		मुख्य विपणन अधिकारी/01	₹ 15,600–39,100 (वेतनबैण्ड–3) ग्रेड वेतन ₹ 8,700

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनाँक 05–08–2002 एवं 14–09–2006, इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेश दिनाँक 05–08–2002 एवं 14–09–2006 की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3. उपरोक्त संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 18.02.2015 से प्रभावी होंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 14NP/XXVII(5)/15–16, दिनांक 24.04.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 349/ix–1/216(2008)/2015–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–763–T/XXX–708–T–1950, दिनांक 12 फरवरी, 1951 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) द्वारा नीचे अनुसूची स्तम्भ–3 में अनुमोदित योजना को मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, संख्या 88) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके स्तम्भ–4 में प्रस्तावित अधिसूचित मार्ग के भाग को उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन कार्यवाही के पश्चात् तत्काल प्रभाव से लोकहित के दृष्टिगत अनुसूची के स्तम्भ–5 को उपान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या और दिनांक, जिसके द्वारा अनुमोदित योजना को अधिसूचित किया गया	अनुमोदित योजना के अधीन अधिसूचित मार्ग का नाम	उपान्तर द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित मार्ग का भाग	उपान्तर
1	2	3	4	5
1.	763–T/XXX–708–T–1950, दिनांक 12 फरवरी, 1951	सहारनपुर–हरिद्वार–रुड़की	बहादराबाद–पिरान कलियर–रुड़की	मार्ग को अनुमोदित योजना के स्तम्भ–7 पर अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायेगा। इस योजना के होते हुये भी देहरादून सम्भाग के बहादराबाद–पिरान कलियर–रुड़की मार्ग को उपान्तरित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

06 मई, 2015 ई0

संख्या 1218/XXXX/2015–18/2004–अधिसूचना संख्या–492/XXXX/2015–18/2004, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0 पी0डी0 चमोली, संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त

नियमावली के भाग–16 के प्रयोजनों के लिये, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यकाल वर्ष 2015–16 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–5

कार्यालय ज्ञाप

06 मई, 2015 ई0

संख्या 951/XXVIII–5–2015–47/2015–एतद्द्वारा, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौण्ड लम्बगाँव का नाम "स्व0 श्री कुशाल सिंह रांगड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद टिहरी गढ़वाल" किया जाता है।

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 362/XX–3–2015–13 (10) 2015–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा एम्स, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड में अध्ययनरत बी0एस0सी0 नर्सिंग की 18 वर्षीय छात्रा युक्ति की दिनांक 24–06–2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के सम्बन्ध जनपद देहरादून के थाना ऋषिकेश पर पंजीकृत मु0अ0सं0–315/2014, धारा 302/201 भा0द0वि0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश तथा उनकी ओर से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India**," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 362/XX(3)-2015-13(10)2015 Dehradun,** dated April 27, 2015 for general information :

NOTIFICATION

April 27, 2015

No. 362/XX(3)-2015-13(10)2015--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 315/2014 U/S 302/201 IPC registered at Police Station, Rishikesh, Dehradun, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences commited in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and in the name of the Governor of Uttarakhand,
VINOD SHARMA,
Secretary, Home.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

27 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 886 / X–1–2015–04(23) / 2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य वन संरक्षक, पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
1.	श्री बी0पी0 गुप्ता	1992
2.	श्री कपिल कुमार जोशी	1992

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

संशोधित अधिसूचना

07 मई, 2015 ई0

संख्या 614 / VIII / 15–22(श्रम) / 2013–अधिसूचना संख्या 334 / VIII / 15–22(श्रम) / 2013, दिनाँक 09 मार्च, 2015 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के अन्तर्गत निम्न संस्थानों को भविष्य निधि से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
1.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2.	मैसर्स सैंट थॉमस कॉलेज, देहरादून।
3.	मैसर्स वेल्हम गर्ल्स हाईस्कूल, देहरादून।
4.	मैसर्स वेल्हम ब्वायज स्कूल, देहरादून।
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा।
6.	मैसर्स दून स्कूल, देहरादून।

सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या 334 / VIII / 15–22(श्रम) / 2013, दिनाँक 09 मार्च, 2015 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) में प्रदत्त उक्त छूट प्राविधानों में आंशिक संशोधन करते हुए, यह छूट दो वर्ष हेतु स्वीकृत की जाती है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

आर0के0 सुधांशु,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट / 302–भाग–1–2015 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 16, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 28, 2015

No. 131/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to Government Notification No. 832/XXX-1-15-26-(5)/2013, dated 27.04.2015, Sri Sanjai Veer Singh, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1230-58930-1380-63070, is posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 30, 2015

No. 133/UHC/Admin.A/2015--Sri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal to hold Camp Court for three days in a month.

This order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

April 30, 2015

No. 134/UHC/Admin.A/2015--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct)

Rules, 1976, applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000 :--

Amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand *vide* Section 30 of U.P. Reorganization Act, 2000

Rule No.	Existing Rule	Amended Rule
Appendix-A **syllabus of Personal Assistant** **Paper III-Practica**l	**Paper III—Practical Time : 3 Hours, MM : 100—**Shorthand and Typewriting with minimum speed of 12000 key-depressions per hour in English and 100 words in English Shorthand dictation per minute. **Note : 1.** Preference will be given to those having good knowledge of Hindi Shorthand and Type-writing with minimum speed of the 9000 words in Hindi Type-writing per hour and 80 words in Hindi Shorthand dictation per minute and knowledge of Computer operation.	**Paper III—Practical Time : 3 Hours, MM : 100—**Shorthand and Typewriting with minimum speed of 12000 key-depressions per hour in English and 100 words in English Shorthand dictation per minute. **Note : 1.** Preference will be given to those having good knowledge of Hindi Shorthand and Type-writing with minimum speed of the *9000 Key depressions* in Hindi Typewriting per hour and 80 words in Hindi Shorthand dictation per minute and knowledge of Computer operation.

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-
Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

(On earned leave handing over)

April 25, 2015

No. 2028/Admn. (A)-UHC/2014--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred vide High Court of Uttarakhand order dated 15th April 2015, as herein denoted in the afternoon of 25th April 2015.

D. P. GAIROLA,

Relieving Officer — Relieved Officer

Countersigned,

NARENDRA DUTT,

Registrar (Inspection).

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
अधिसूचना
10 अप्रैल, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/173/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 102/XXXVi(3)/2015/22(1)/2015 देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करे।

क्रम संख्या–57

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0
चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015
देहरादून, 31 मार्च, 2015
अधिसूचना
विविध

"भारत का संवधिान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015" पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और

वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 की उपधारा (5) तथा उपधारा (7) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में :–

(एक) विद्यमान उपधारा (5) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "4 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "5 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(दो) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "2 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "3 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(तीन) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

(घ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के डेढ़ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के दुगने से अधिक न होगी।

(चार) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किये बिना, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, जिसमें कच्चा माल, प्रसंस्कृत माल, पैकिंग मैटीरियल एवं उपभोज्य (Consumables) शामिल है, खरीदा हो, और

(क) ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को ; या

(ख) ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को ऐसे पैकिंग मैटिरियल से पैक करने के पश्चात् ;

राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या

भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा ब्यौहारी, ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी अनुसूचियों में ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्राविधानित सामान्य कर की दर से आंकलित कर की राशि एवं इस धारा के अन्तर्गत रियायती कर की दर से आंकलित कर की राशि के अन्तर के डेढ़ गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

यह धनराशि ऐसी अवधि हेतु देय होगी, जिस अवधि में ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल का ऐसा सम्व्यवहार किया गया है और इसका भुगतान उस समय सीमा में किया जायेगा जो ऐसी अवधि, हेतु देय कर को जमा करने के लिये निर्धारित है और ऐसे व्यापारी के लिये लागू है।

<u>स्पष्टीकरण :</u> यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (8) का संशोधन तथा उपधारा (17) के बाद एक नयी उपधारा (18) का जोड़ा जाना

(3) मूल अधिनियम धारा 6 में :—

(एक) विद्यमान उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्—

प्रतिबन्धित यह और है कि, किसी भी दशा में, किसी माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रैडिट अथवा रिफन्ड की राशि, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कानून के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर की राशि, जो सरकारी कोषागार में वास्तव में जमा कर दी गयी है, से अधिक नहीं होगी।

(दो) विद्यमान उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—

प्रतिबन्धित यह है कि, ऊपर खण्ड (घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे विनिर्मित माल को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत के अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा;

(तीन) विद्यमान उपधारा (8) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—

प्रतिबन्धित यह है कि, मद (छ) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 3 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी।

(चार) वर्तमान उपधारा (17) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (18) रख दी जायेगी; अर्थात्—

(18) इस धारा में किसी विरोधी बात के होते हुये भी, यदि क्रय किये गये अथवा पुनः बिक्रीत किये गये माल अथवा ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल को, ऐसे मूल्य पर बेचा जाता है जो—

(क) पुनर्बिक्री की दशा में, ऐसे माल के क्रय मूल्य से; अथवा

(ख) विनिर्माण की दशा में लागत मूल्य से;

कम है तो इनपुट टैक्स क्रैडिट की राशि का दावा, ऐसे माल के अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर देय कर की सीमा तक किया जायेगा और उसे उसी सीमा तक अनुमन्य किया जायेगा।

धारा 35 की उपधारा (2)ए उपधारा (8) तथा उपधारा (10) का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 35 में :–

(एक) विद्यमान उपधारा (2) के खण्ड (घ) में प्रयुक्त शब्द "चार प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "पाँच प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा;

(दो) विद्यमान उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

(8) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति;

(क) इस धारा के अन्तर्गत कटौती करने योग्य राशि की कटौती करने में असफल रहता है तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो इस धारा के अधीन काटने योग्य ऐसी धनराशि के एक सौ पन्द्रह प्रतिशत से कम एवं एक सौ पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(ख) इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार एवं निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति;

(i) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा; और

(ii) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक है, ऐसी धनराशि, जो ऐसी राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

(तीन) वर्तमान उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

(10) उपधारा (8) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कटौती करने के पश्चात् धनराशि जमा न की गयी हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश पारित करके निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी राशि को उपधारा (9) में निर्दिष्ट ब्याज सहित जमा करे और ऐसी राशि, ऐसे ब्याज सहित सम्बद्ध व्यक्ति की समस्त आस्तियों पर भार होगी।

धारा 50 की उपधारा (3) का संशोधन

5. "मूल अधिनियम" की धारा 50 की वर्तमान उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात–

परन्तु यह कि ऐसा कर निर्धारण, इस प्राविधान के आरम्भ होने से पूर्व या उसके बाद उद्भुत हुए मामलों में किया जा सकेगा।

धारा 53 की उपधारा (10) का संशोधन

6. "मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (10) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

(ख) अधिनियम के निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत दिए गये आदेश अथवा निर्देश के विरूद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगः–

(i) धारा 52 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश;

(ii) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;

(iii) धारा 43–क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;

(iv) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;

(v) धारा 48–क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश।

धारा 58 की उपधारा (1) का संशोधन

7. "मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के चार्ट के स्तम्भ–2 (अर्थदण्ड) के खण्ड (VII) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(VII) (क)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम न हो और बीस प्रतिशत से अधिक न हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम न हो और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ख)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और बीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के बीस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ग) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के दो गुना से अधिक न हो;

आज्ञा से,

जय देव सिंह,

प्रमुख सचिव।

आई0एस0 बृजवाल,

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

No. 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015

Dated Dehradun, March 31, 2015

NOTIFICATION

Micellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "the Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Bill, 2015" (Adhiniyam Sankhya 11 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2015.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 11 of 2015)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 :

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty sixth year of the Republic of India, as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force with immediate effect.

Amendment of sub-section (5) and sub-section (7) of Section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the Principal Act) :

(1) for the words "at the rate of four percent" occurring in the existing clause (a) of sub-section (5), the words "at the rate of five percent" shall be substituted.

(2) for the words "at the rate of 2 percent" occurring in clause (a) of sub-section (7) and its first proviso, the words "at the rate of 3 percent" shall be substituted.

(3) For the existing clause (d) of sub-section (7), the following clause shall be substituted; namely--

(d) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and has used such goods for a purpose other than that for which the Recognition Certificate was granted or has otherwise disposed of the said goods, such dealer shall be liable to pay as penalty such amount as the Assessing Authority may fix which shall not be less than **one and half times the difference** between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this sub-section and the amount of tax payable under this sub-section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act, **but not exceeding twice** the amount of such difference.

(4) For the existing clause (e) of sub-section (7), the following clause shall be substituted; namely--

(e) Where a dealer, in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b), has purchased any goods including raw material, processing material or packing material and consumables after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this section, and

(i) the goods (as specified in schedule III) Manufactured or processed by using or utilizing such goods; or

(ii) the goods (as specified in Schedule III) so manufactured or processed, after being packed with such packing material;

are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the Territory of India, such dealer shall be liable to pay, an amount equal to one and half times of the difference between the amount of tax calculated on the sale or purchase value of such goods at the general rate of tax provided in the schedules under this Act in respect of such goods and the amount of tax, at the concessional rate of tax under this section, on the sale or purchase such goods.

Such amount shall be due for the period in which such transaction of such manufactured or processed goods is made and be payable within the time limit, as prescribed for depositing the tax due for such period as is applicable in the case of such dealer.

Explanation : for determining whether a sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce, within the State, or in the course of export out of India, the provisions of Sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 shall respectively apply.

Amendment of sub-section (1), sub-section (3), sub-section (8) and addition of a new sub-section (18) after sub-section (17) of Section 6

3. In section 6 of the Principal Act--

(1) After the existing two proviso of sub-section (1), the following new proviso shall be added; namely--

Provided further that, in no case the amount of input tax credit or refund on any purchase of goods shall exceed the amount of tax, in respect of the same goods actually paid under this act or any earlier law, into the Government treasury;

(2) For the existing first proviso of clause (e) of sub-section (3), the following proviso shall be substituted; namely--

Provided that with reference to clause (d) above, in case such manufactured goods are dispatched outside the state other than by way of sale, a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on the raw materials used directly in the manufacture of such goods.

(3) For the existing first proviso of sub-section (8), the following proviso shall be substituted; namely--

Provided that in respect of transactions falling under (item g) a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on the raw materials used directly in the manufacture of goods.

(4) after the existing sub-section (17), following new sub-section (18) shall be added; namely--

(18) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where goods purchased or resold or goods manufactured or processed by using or utilizing such purchased goods are sold at a price which is lower than;

(i) the purchase price of such goods in case of resale; or

(ii) the cost price in case of manufacture,

the amount of input tax credit shall be claimed and be allowed to the extent of tax payable on the sale value of such goods or manufactured goods.

Amendment of sub-section (2), sub-section (8) and sub-section (10) of Section 35

4. In section 35 of the Principal Act--

(1) For the words “at the rate of four percent” occurring in clause (d) of the existing sub-section (2), the words “at the rate of five percent” shall be substituted.

(2) for the existing sub-section (8), the following sub-section shall be substituted; namely--

(8) If any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3)--

(a) fails to make the deduction of the amount deductible under this section the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum which shall not be less than one hundred fifteen percent and not more than one hundred twenty five percent of such amount deductible under this section; or

(b) after deduction fails to deposit the amount so deducted in to the Govt. Treasury as required in sub-section (4), the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall

(i) pay, by way of penalty, a sum equal to two percent of such amount, if the delay in depositing such amount is not more than a month; and

(ii) pay, by way of penalty, a sum which shall not be less than fifteen percent and not more than twenty five percent of such amount, if the delay in depositing such amount is more than a month.

(3) for the existing sub-section (10), the following sub-section shall be substituted; namely--

(10) without prejudice to the provisions of sub-section (8), where the amount has not been deposited after deduction, the Assessing Authority, after giving an opportunity of being heard, may pass an order directing such person to deposit such amount together with the interest referred to in sub-section(9) and such amount together with such interest shall be a charged upon all the assets of the person concerned.

Amendment of sub-section (3) of Section 50

5. For the first proviso of the existing sub-section (3) of section 50 of the "Principal Act", the following proviso shall be substituted; namely--

provided that such assessment may be done in the cases arising before or after the date of commencement of this provision.

Amendment of sub-section (10) of Section 53

6. For the existing clause (b) of sub-section (10) of section 53 of the "Principal Act", the following clause shall be substituted; namely--

(b) An appeal against an order or direction passed under the following provisions of the Act, shall be heard and disposed of by a bench of two members;

(i) an order passed under section 52;

(ii) a direction given under sub-section (8) of section 43;

(iii) a direction given under sub-section (7) of section 43-A;

(iv) a direction given under sub-section (10) of section 48;

(v) a direction given under sub-section (7) of section 48-A.

Amendment of sub-section (1) of Section 58

7. For clause (VII) in column-2 (Penalty) in the chart given in the existing sub-section (1) of section 58 of the "Principal Act", following clause shall be substituted; namely--

(vii) (a) (i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and

(ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand; and

(iii) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty thousand.

(b) (i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and

(ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand; and

(iii) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty thousand;

(c) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not more than twice the said amount.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

I. S. BRIJWAL,
Additional Commissioner,
Sales Tax, Head Office, Uttarakhand,

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

24 अप्रैल, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/413/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 02/2015/146(120)XXVi(8)/07, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तात्कालिक प्रभाव से घरेलू रसोई गैस के विक्रेता को, इसकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर, भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि छूट की धनराशि का लाभ क्रेता हो प्राप्त होगा।

उपरोक्त अधिसूचना इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 02/2015/146(120)/XXVII(8)/07–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड, राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड मूलवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तात्कालिक प्रभाव से घरेलू रसोई गैस के विक्रेता को, इसकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर, भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि छूट की धनराशि का लाभ क्रेता को प्राप्त होगा।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no. **02/2015/146(120)/XXVII(8)/07**, dated April 22, 2015 for general information :

NOTIFICATION

April 22, 2015

No. 02/2015/146(120)/XXVII(8)/07--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow with immediate effect a full rebate of tax on the amount of subsidy granted by the Government of India, to the seller of Liquified Petroleum Gas (L.P.G.) for domestic use at every point of sale on the condition that the rebate is passed on to the purchaser.

By Order,

BHASKARANAND,
Secretary.

PIYUSH KUMAR,
Additional Commissioner,
Sales Tax, Head Office, Uttarakhand,

(विधि–अनुभाग)

30 अप्रैल, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय–पंजीकृत संविदाकारों का टिन समाप्त करने तथा बिना अनुबन्ध/टेण्डर मिले पंजीयन प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 552/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या 5355, दिनांक 18.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी संविदाकार द्वारा मात्र टेण्डर डालने हेतु पंजीयन लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में पंजीयन जारी न किया जाये।

पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्र के ठेकेदारों को उक्त निर्देश जारी होने के उपरान्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन, जनपद चमोली के पत्र दिनांक 22.04.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि जो संविदाकार नियमित रूप से वैट विवरणी दाखिल नहीं कर रहें हैं और व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं, उनका पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है परन्तु ऐसे संविदाकार जो

कि नियमित रूप से त्रैमासिक विवरणी दाखिल कर रहें हैं और विभागीय नियमों का पालन भी कर रहें हैं, उनका पंजीयन निरस्त न किया जाय।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या 5355, दिनांक 18.02.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि ऐसे संविदाकार जो कि विगत कई वर्षों से पंजीकृत हैं परन्तु उनके द्वारा कोई विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है तथा आदेश फलक पर कर मुक्त हो रहे हैं, उन पर मुख्यालय के पत्रांक 474, दिनांक 27.04.2015 के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय तथा जिन संविदाकारों द्वारा अपने कार्य संविदा के सम्बन्ध में नियमानुसार विवरणी दाखिल की जा रही है, चाहें शून्य आवर्त की विवरणी ही दाखिल क्यों न हो, उनके सम्बन्ध में पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही न की जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित की जायेगी।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

28 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 526/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री आर0के0 सेनीटेशन, 26/70, राजा रोड, देहरादून, टिन–**05000752260**	प्ररुप–XVI **(05)**	U.K.VAT-M 2012 2184342 to 2184346	खोने के कारण
2.	सर्वश्री सचिन ट्रेडिंग कं0, दे0 दून, टिन–**05012584611**	प्ररुप–XVI **(01)**	U.K.VAT-M 2012 5459125	खोने के कारण
3.	सर्वश्री असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–2, देहरादून	प्ररुप–XVI **(01)**	U.K.VAT-M 2012 6787001	मिसिंग के कारण
4.	सर्वश्री अंबुजा सीमेन्ट लि0 यूनिट, रुड़की, ग्राम लाकेश्वरी, परगना भगवानपुर, रुड़की, टिन–**05003985561**	प्ररुप–XVI **(01)**	U.K.VAT-M 2012 4394788	खोने के कारण
5.	सर्वश्री कामा मेटल एण्ड एलाएज, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की, टिन–**05004016698**	प्ररुप– XVI **(01)**	U.K.VAT-M 2012 6281942	खोने के कारण
6.	सर्वश्री एड़ाघो फर्नीचर्स, जाखनदेवी, अल्मोड़ा, टिन–**05007258729**	प्ररुप–XVI **(01)**	U.K.VAT-M 2012 2036814	खोने के कारण

1	2	3	4	5
7.	सर्वश्री डेनिस फार्मास्यूटिकल्स, हल्द्वानी, टिन–05001488975	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 4661518	खोने के कारण
8.	सर्वश्री कुमाऊँ स्पात प्रा0लि0, हल्द्वानी, टिन–05009384775	प्ररुप–XVI (04)	U.K.VAT-M 2012 4660887, 4660890, 4660891, 4661828	खोने के कारण
9.	सर्वश्री माँ शीतला ऑटोव्हील प्रा0लि0, हल्द्वानी, टिन–05010323832	प्ररुप–XVI (04)	U.K.VAT-M 2012 0056412, 0056468, 2595537, 2597006	खोने के कारण
10.	सर्वश्री सिंडिकेट ऑटो कम्पोनेन्ट्स, पंतनगर, टिन–05006895076	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 3950978	खोने के कारण
11.	सर्वश्री असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–2, रुद्रपुर	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-M 2012 6422958, 6422959, 6422960	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

(विधि–अनुभाग)

05 मई, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/657/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 383/2015/74(120)XXVii(8)/05, दिनांक 02 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 786/2011/74(120) XXVii(8)/05, दिनांक 18 जुलाई, 2011 द्वारा कर की छूट हेतु विनिर्दिष्ट समय–सीमा "दिनांक 31.03.2016 तक अथवा जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले हो," तक के लिए किये जाने से अवगत कराया गया है एवं इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, अनुलग्नक–क में विनिर्दिष्ट सूचना प्रोद्योगिकी माल की सूची में क्रमांक 11.1 के रूप में "मोबाईल हैण्डसेट" को भी शामिल किए जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

02 मई, 2015 ई0

संख्या 383/2015/74(120)/XXVII(8)/05–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 786/2011/74(120)/XXVII(8)/05, दिनांक 18 जुलाई, 2011 द्वारा कर की छूट हेतु विनिर्दिष्ट समय–सीमा, "दिनांक 31–03–2016 तक अथवा जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले हो", तक के लिए किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, अनुलग्नक–क में विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी माल की सूची में, क्रमांक 11.1 के रूप में "मोबाईल हैण्डसेट" को भी शामिल किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **383/2015/74(120)/XXVII(8)/05**, dated May 02, 2015 for general information :

NOTIFICATION
May 02, 2015

No. 383/2015/74(120)/XXVII(8)/05--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1897 (U.P. Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to extend the period regarding exemption of tax upto "31.03.2016 or the date of implementation of GST, whichever is earlier" as specified in the previous notification no. 786/2011/74(120)/XXVII(8)/05, dated 18 July, 2011.

The Governor is also pleased to add "Mobile Handset" as serial no. 11.1 in the list of Information Technology Goods as specified in Annexure-A, with effect from the date of issue of this notification.

By Order,

BHASKARANAND,
Secretary.

PIYUSH KUMAR,
Additional Commissioner,
Sales Tax, Head Office, Uttarakhand,

कार्यालय, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून

विज्ञप्ति

05 मई, 2015 ई0

पत्रांक/653/एडी0कमि0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 04/14–15/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्रांक 2786, दिनांक 24.01.2015, पत्र संख्या 3410, दिनांक 30.03.2015 व पत्र संख्या 85/दिनांक 15.04.2015, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, नैनीताल संभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 2507, दिनांक 19.02.2015, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर पत्र संख्या 60/दिनांक 08.04.2015, द्वारा कुल 30 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

क्र0 सं0	सम्भाग का नाम	व्यापारी का नाम	टिन नं0	निरस्तीकरण की तिथि
01.	हल्द्वानी	सर्वश्री दिनेशचन्द भटट, हराली, डीडीहाट	05010080653	11.11.2014
02.	–उक्त–	सर्वश्री बसत सिह सांमत, देवलथल, डीडीहाट	05003188318	04.01.2015
03.	–उक्त–	सर्वश्री लकी इलेक्ट्रॉनिक्स, बेरीनाग	05009678879	19.11.2014
04.	–उक्त–	सर्वश्री बाला जी स्टेशनरी, डीडीहाट	05013230049	14.11.2014
05.	–उक्त–	सर्वश्री इन्डियन काफी हाउस, डीडीहाट	05009608845	08.01.2015
06.	–उक्त–	सर्वश्री लक्ष्मण सिंह हयांकी, सोसा, धारचूला	05012329889	25.11.2014
07.	–उक्त–	सर्वश्री यंजना फयूल्स सर्विस, देवीनगर, बेरीनाग	05009839802	25.01.2015
08.	हरिद्वार	सर्वश्री बालाजी ग्रेन्स एण्ड स्पाइसेज, खसरा नं0 117, रायपुर, भगवानपुर	05012481209	30.01.2015
09.	–उक्त–	सर्वश्री शोभा फूड्स, नं0 117, रायपुर, भगवानपुर	05012535281	30.01.2015
10.	–उक्त–	सर्वश्री भगवती इण्डस्ट्रीज, रायपुर, भगवानपुर	05012132203	30.01.2015
11.	–उक्त–	सर्वश्री ग्रो डीजल वेन्चर्स, रायपुर, भगवानपुर	05009740377	30.01.2015
12.	–उक्त–	सर्वरी के0के0 फूड्स, खसरा नं0 117, रायपुर, भगवानपुर	05013187757	30.01.2015
13.	–उक्त–	सर्वश्री सुर्या इन्टर प्राइजेज, ग्राम सिकन्दरपुर, भैसवाला, रुड़की	05014836078	30.01.2015
14.	काशीपुर	सर्वश्री आकाश एजेन्सीज	05014979832	30.03.2015
15.	हरिद्वार	सर्वश्री ए0एल0 लाइन ट्रेडर्स, कुन्दन काम्पलेक्स, वाईपास रोड सिडकुल, बहादराबाद, हरिद्वार	05014449436	07.03.2015
16.	–उक्त–	सर्वश्री गोयल इन्टर प्राइजेज, रावली महमूद रोड, बहादराबाद, हरिद्वार	05014716477	17.01.2015
17.	–उक्त–	सर्वश्री जैना ट्रेडमार्ट प्रा0लि0, गाँव सुल्तानपुर माजरी, हरिद्वार	05014508412	09.04.2015
18.	–उक्त–	सर्वश्री नन्दनी ट्रेडर्स, कुन्दन काम्पलेक्स, वाईपास रोड सिडकुल, बहादराबाद, हरिद्वार	05014415195	27.01.2015
19.	–उक्त–	सर्वश्री नब्या ट्रेडिंग कम्पनी, कुन्दन काम्पलेक्स, वाईपास रोड सिडकुल, बहादराबाद, हरिद्वार	05014646443	27.01.2015
20.	–उक्त–	सर्वश्री प्रसाद ट्रेडिंग कम्पनी, रेलवे रोड, नियर गंगा, हरिद्वार	05014832586	27.01.2015
21.	–उक्त–	सर्वश्री राना ग्लोबल एकता कॉलोनी, बहादराबाद	05014362912	01.09.2014
22.	–उक्त–	सर्वश्री रायल इण्ड0, कुन्दन काम्पलेक्स, वाईपास रोड सिडकुल, बहादराबाद, हरिद्वार	05014646734	27.01.2015
23.	–उक्त–	सर्वश्री रुचि सेल्स कारर्पो0, कुन्दन काम्पलेक्स, वाईपास रोड सिडकुल, बहादराबाद, हरिद्वार	05014982063	07.03.2015
24.	–उक्त–	सर्वश्री सार्थक इण्ड0, शुभम काम्पलेक्स, नियर हरिद्वार	05014601435	28.02.2015
25.	–उक्त–	सर्वश्री वियो इण्डस्ट्रीज, विहार वैरियर, बहादराबाद, हरिद्वार	05014363009	01.09.2014
26.	–उक्त–	सर्वश्री अनुराग ब्रादर्स गोयल राइस मिल, बहादराबाद	05011564074	09.04.2015
27.	–उक्त–	सर्वश्री एसीपी सोल्यूशन बी0एच0एल0, रानीपुर, हरिद्वार	05010012074	09.04.2015
28.	–उक्त–	सर्वश्री गुप्ता बाक्स मेकर, शिवालिक नगर, हरिद्वार	05006691473	09.04.2015
29.	–उक्त–	सर्वश्री अम्बा इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स, शिवालिक नगर, हरिद्वार	05006988681	09.04.2015
30.	–उक्त–	सर्वश्री सिद्धबली इस्पात उद्योग, जशोधरपुर, कोटद्वार	05014056489	03.12.2014

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित कुल 30 व्यापारियों की सूची उपरोक्तानुसार इस आशय से विज्ञापित की जा रही है कि उपरोक्त व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्तीकरण की तिथि से अवैध मानी जाय।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(स्थापना–अनुभाग)
आदेश
05 मई, 2015 ई0

पत्रांक/647/आयु0क0उत्तरा0/स्था0–अनु0/2015–16/वाणि0क0/दे0दून–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत वाणिज्य कर अधिकारी, वेतनमान ₹ 9,300–34,800+ग्रेड पे ₹ 4,600 के पद पर इस कार्यालय के नियुक्ति आदेश संख्या 5418, दिनांक 19.02.2015 द्वारा श्री कपिल जोशी पुत्र श्री मायाराम जोशी, स्थाई पता ग्राम मंझगाँव (कुवानू), तहसील चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए नियुक्ति–पत्र जारी किया गया था और उनसे दिनांक 13.03.2015 तक प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी परन्तु उनके द्वारा नियत तिथि तक उक्त पद पर योगदान प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही योगदान प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। पुनः श्री जोशी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 13.04.2015 तक का समय कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रदान किया गया। श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 07.03.2015 के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनका चयन केन्द्रीय सेवा, आई0आर0एस0 में होने के कारण वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री जोशी द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण श्री कपिल जोशी पुत्र श्री मायाराम जोशी, स्थाई पता ग्राम मंझगाँव (कुवानू), तहसील चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है और उनके अभ्यर्थन के कारण हुई रिक्ति को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रनीत किया जाता है। भविष्य में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री जोशी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा0), रूद्रप्रयाग
ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन–फरवरी, 2015
सूचना
19 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक/201/पंचा0–उप प्रधान उप निर्वा0/2015–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–3826/रा0नि0आ0–2/1775/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–339/XII(1)/15–86(17)/2013, दिनांक 16 फरवरी, 2015 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, मैं, डॉ0 राघव लंगर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा0), रूद्रप्रयाग, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत के उप प्रधान के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्देशित करता हूँः–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.02.2015 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.02.2015 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.02.2015 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.02.2015 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.02.2015 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.02.2015 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के उप निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) के नियम 117(1) दी गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

उक्त उप निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन परिणाम की सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत के उप प्रधानों के उप निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्र संख्या 1964, दिनांक 21 जुलाई, 2014 संलग्न है।

ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पद के रिक्त पदों का विवरण

जनपद–रूद्रप्रयाग

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद/स्थान
1.	अगस्त्यमुनि	कुमोली मालकोटी	उप प्रधान
2.	जखोली	भंणगा	उप प्रधान
3.	ऊखीमठ	–	–

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचस्थानि चुनावालय,
रूद्रप्रयाग

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
रूद्रप्रयाग

ह0 (अस्पष्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
रूद्रप्रयाग

आदेश

19 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 202/पंचा0–उप प्रधान उप निर्वा0/2015–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–3826/रा0नि0आ0–2/1775/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, मैं, डॉ0 राघव लंगर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा0), रूद्रप्रयाग, उक्त निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायतवार निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती निम्न प्रकार से करता हूँ :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	निर्वाचन अधिकारी का नाम/पदनाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	अगस्त्यमुनि	श्री सुरेश शाह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड–अगस्त्यमुनि	कुमोली मालकोटी
2.	जखोली	श्री धर्मेन्द्र भण्डारी, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड–जखोली	भंणगा

उक्त उप निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम की सूचना एवं उप प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश संलग्न हैं ।

डॉ राघव लंगर,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचा0),
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

30 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 11068/लाइसेंस–निलम्बन/निरस्तीकरण/2014–विभिन्न पुलिस/प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही की संस्तुति के आधार पर निम्नवत् अंकित चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध दिनांक 30–12–2015 को निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी हैः–

क्र0 सं0	चालन अनुज्ञप्ति संख्या/श्रेणी व वैधता	धारक का नाम व पता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	यूके–0719900207062, हल्का परिवहन यान, 13–05–2015	श्री सुमित कुमार पुत्र श्री जय लाल, चन्द्रबनी, मोहबेवाला, देहरादून	एआरटीओ (प्रवर्तन), देहरादून	ओवरलोडिंग, असुरक्षित संचालन	01 माह के लिए निलम्बित
2.	यूए–0719750157032, परिवहन यान, हल्का परिवहन यान, 01–05–2014	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नाता राम, 43, गाँधी रोड, देहरादून	प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, डोईवाला	नशे का सेवन कर वाहन चलाना	निरस्त
3.	यूके–0720130266627, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) 21–08–2033	श्री जसप्रीत पुत्र श्री रघुवीर सिंह, 118/54, सैयद मोहल्ला, देहरादून	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून	नशे का सेवन कर वाहन चलाना	निरस्त

1	2	3	4	5	6
4.	यूए–0720100113694, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटर यान (गैर परिवहन), 01–06–2030	श्री अंशुल करासी पुत्र श्री चन्द्रमोहन सिंह करासी, 44, दून घाटी समिति, एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून	पुलिस निरीक्षक, मडीवाला, बैंगलौर	नशे का सेवन कर वाहन चलाना	निरस्त
5.	यूके–0719920240221, परिवहन यान, एलएमवी कैब (ट्रांसपोर्ट) 18–02–2016	श्री प्रीथी पाल सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह, 02 स्टेशन रोड, देहरादून	सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस	वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु	निरस्त
6.	यूए–0719840195269, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन), 20–10–2016	श्री अश्वनी गाँधी पुत्र श्री सन्त राम गाँधी, 29/1, त्यागी रोड, देहरादून	पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून	अनधिकृत रूप से शराब का परिवहन करना	निरस्त
7.	यूए–0720080039078, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन), दिनांक 23–03–2028	श्री करनप्रीत पुत्र श्री कंवलजीत सिंह, 70, एमडीडीए, देहरादून	निरीक्षक, पुलिस चौकी, हार्थीबड़कला	लापरवाही से वाहन चलाकर अन्य वाहन को टक्कर मारना	06 माह के लिए निलम्बित
8.	यूए–0720030167969, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिहवन), दिनांक 27–08–2023	श्री नांग्याल सन्दूप पुत्र श्री जाम्यांग, एसओएस वीटीसी फॉर तिब्बतन, सेलाकुई, देहरादून	पुलिस उपनिरीक्षक, कब्बन पार्क, बैंगलौर	शराब का सेवन कर वाहन चलाना (मेडिकल रिपोर्ट अप्राप्त)	06 माह के लिए निलम्बित
9.	94171/दे0दून/2006, मोटर साईकिल एवं मोटर कार प्राईवेट, दिनांक 16–02–2026	श्री मातबर सिंह रावत पुत्र श्री नेता सिंह, द्वारा श्री संदीप मालिया, 1080/5, राजपुर रोड, देहरादून	एआरटीओ, विकासनगर	बिना हैल्मेट, तीन सवारी बैठाना, तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाना	06 माह के लिए निलम्बित
10.	यूए–0720020197753, मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान, दिनांक 02–03–2015	श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मो0 यासीन लाखनवाला, देहरादून	एआरटीओ, विकासनगर	ओवरलोडिंग, असुरक्षित संचालन	45 दिवस के लिए निलम्बित
11.	यूके–0720030221414, मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान, दिनांक 10–02–2016	श्री मुन्ना सिंह पुत्र श्री के0 सिंह, हरिपुर, कालसी, देहरादून	एआरटीओ, विकासनगर	ओवरलोडिंग	21 दिवस हेतु निलम्बित
12.	यूके–0720130275132, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटर यान (गैर परिवहन), दिनांक 23–10–2033	श्री पप्पू दास पुत्र श्री सन्त राम रंगेउ, बरोथा, चकराता, देहरादून	एआरटीओ, प्रवर्तन, देहरादून	ओवरलोडिंग, असुरक्षित संचालन	04 माह हेतु निलम्बित
13.	यूए–0720060037018, मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान, दिनांक 20–05–2014	श्री नसीरूद्दीन पुत्र श्री कमरूद्दीन, 69 राजीवनगर, देहरादून	एआरटीओ, ऋषिकेश	ओवरलोडिंग	21 दिवस हेतु निलम्बित
14.	यूके–0719970267711, परिवहन यान, पीएसवी, बस, दि0 29–08–2016	श्री प्रवीन कुमार पाल पुत्र श्री राधेश्याम पाल, ग्राम बालावाला खास, देहरादून	एआरटीओ, विकासनगर	ओवरलोडिंग, असुरक्षित संचालन	06 माह हेतु निलम्बित

संदीप सैनी,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), देहरादून।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 2030/टी0आर0/पंजी0नि0/DL1LG-1084/2015–वाहन संख्या DL1LG-1084, मॉडल 2005, चेसिस संख्या 374417AUZ904269 तथा इंजन नं0 497SP28AUZ806215, कार्यालय में बाबा बचन सिंह पुत्र श्री दीलीप सिंह, निवासी कार सेवा गुरूद्वारा श्रीनानकपुरी टाडा किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.04.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.12.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या वाहन संख्या DL1LG-1084, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 374417AUZ904269 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 2031/टी0आर0/पंजी0नि0/UP84-9206/2015–वाहन संख्या UP84-9206, मॉडल 1996, चेसिस संख्या 360324BTQ002143 तथा इंजन नं0 697D23ATQ105747, कार्यालय में श्री निसार अहमद पुत्र श्री रईश अहमद, निवासी म0नं0 524, शहदौरा ईमामनगर आंशिक, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.04.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 30.04.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या वाहन संख्या UP84-9206, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324BTQ002143 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी

कार्यालय आदेश

29 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 190/लाइसेन्स निरस्त/प्रशासन/15–श्री हरी दास पुत्र श्री गंगाधरन दास, निवासी गंगोरी, उत्तरकाशी द्वारा अपने DL No.-UK-1020080000329, जो MCWG (NT) LMV(NT)] वाहन चलाने हेतु दिनांक 07–06–2019 तक वैध है को अपने व्यक्तिगत कारणों से रद्द करने हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया

गया है एवं उक्त लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त लाइसेन्स को निरस्त व भविष्य में लाइसेन्स का उपयोग न करने तथा कोई कार्यवाही लम्बित चलने पर सम्पूर्ण दायित्व उपरोक्त लाइसेन्सधारक के हाने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा उक्त लाइसेन्स से सम्बन्धित चेक/चालान, श्री हरी दास के विरूद्ध किसी प्रकार की पूर्व/वर्तमान में हुई कार्यवाही की आख्या उत्तराखण्ड के सभी परिवहन कार्यालयों व पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उत्तरकाशी एवं उपजिलाधिकारी कार्यालयों से इस कार्यालय के पत्र सं0 134/लाइसेन्स निरस्त/प्रशासन/14, दिनांक 20–03–2015 के द्वारा मांगी गयी थी किन्तु किसी भी कार्यालय से निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सम्बन्धी कोई प्रति उत्तर प्राप्त न होने की दशा में सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा प्रदत्त लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, मनोज कुमार त्यागी, सहायक संभागीय निरीक्षक (प्रावि0), आज दिनांक 29–04–2015 को तत्काल प्रभाव से उपरोक्त लाइसेन्स को निरस्त करने की कार्यवाही करता हूँ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

01 मई, 2015 ई0

पत्रांक 579/आयु0कर,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र ओ0सी0 स्टैम्पस, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग पाये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर	ओ0सी0 टिकट (1200)	OCAAU.K.VAT-2012 1244701 to 1245000, 1249701 to 1250000, 1254701 to 1255000, 1259701 to 1260000	मिसिंग पाये जाने के कारण

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/302–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 16, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश (देहरादून)

उपविधि

25 मई, 2015 ई0

पत्रांक 241/निर्माण/2015–2016–नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा–2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2015" बनायी गयी, जो आपत्ति एवं सुझाव के निस्तारण के पश्चात् नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश की बोर्ड बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संख्या–11 द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि कर, स्वीकार की गयी है।

नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून की सीमान्तर्गत गठित "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015" नगरपालिका अधिनियम की धारा 301(2) के तहत सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार लागू होगीः–

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2015

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2015" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
4. परिभाषाएँ–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(ii) "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है;

(iii) "नगर पालिका परिषद्" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् से है;

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

(v) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य पालिका, ऋषिकेश में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है;

(vii) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन), नियम, 2000 बनाये गये, से हैं;

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगर पालिका, अधिनियम से है;

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegrabable waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट ये जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegrabable waste)" का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि;

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो;

(xiii) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;

(xiv) "कचरा खाद्य बनाने (Composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;

(xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत हैं;

(xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है;

(xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है;

(xix) "नगर पालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है;

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xxiii) "पुनः चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं;

(xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;

(xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी कि अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पंचायत, से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5/– को पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges)

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में
1	2	3
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	₹ 10.00
2.	कम आय वाले घर	₹ 30.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹ 50.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 10.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर ₹ 200.00 प्रतिमाह
5.	रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम ₹ 500.00 प्रतिमाह तथा 20 किग्रा0 से अधिक प्रति 50 किग्रा0 अथवा भाग पर ₹ 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 500.00 प्रतिमाह, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 1000.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 2000.00 प्रतिमाह
7.	आश्रम/अखाड़ा	21 बेड तक ₹ 500.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 700.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 1000.00 तथा भण्डारा/उत्सव आयोजन ₹ 2000.00 प्रति
8.	धर्मशाला	10 कमरों तक ₹ 200.00 प्रतिमाह, 11 से 25 तक ₹ 300.00 प्रतिमाह, 26 से अधिक ₹ 400.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर ₹ 500.00 प्रतिदिन अतिरिक्त
9.	बारातघर	₹ 500.00 प्रतिमाह एवं विवाह/उत्सव आयोजन पर ₹ 1000.00 प्रति उत्सव/विवाह
10.	बेकरी	₹ 500.00 प्रतिमाह
11.	कार्यालय	न्यूनतम ₹ 200.00 प्रतिमाह, 51 कर्मचारियों से 100 तक ₹ 300.00 प्रतिमाह, 101 से 300 तक ₹ 400.00, प्रतिमाह एवं उससे अधिक पर ₹ 500.00
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिये ₹ 1000.00 प्रतिमाह, उससे अधिक ₹ 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक ₹ 200.00, उससे अधिक ₹ 500.00 प्रतिमाह
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 400.00 प्रतिमाह, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 500.00 प्रति माह एवं 41 से 100 बेड तक ₹ 700.00 प्रतिमाह, उससे अधिक ₹ 1000.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक (मेडिकल)	₹ 200.00
16.	दुकान	₹ 100.00
17.	फैक्ट्री	₹ 500.00

1	2	3
18.	वर्कशॉप/कबाड़ी	₹ 500.00
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 200.00
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 500.00 प्रतिदिन
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक ₹ 100.00, 1.0 घन मी0 तक ₹ 200.00, 3.0 घन मीटर तक ₹ 500.00, 6.0 घन मी0 तक ₹ 1000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 ₹ 200.00 अतिरिक्त

जैविक (Biodegrable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लॉस्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सेल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़े से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के काँच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटोपैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्केट, इलैक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लासेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थ्रीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून में अन्तिम रूप में निहित होगा।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश।

दीप शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश (देहरादून)

उपविधि

25 मई, 2015 ई0

पत्रांक 242/निर्माण/2015–2016–नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–298(2) लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनायी गयी है, जो आपत्ति एवं सुझाव के निस्तारण के पश्चात् नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश की बोर्ड बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संख्या–12 द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि कर स्वीकार की गयी है।

नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून की सीमान्तर्गत गठित "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2015" नगरपालिका अधिनियम की धारा–301(2) के तहत सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार लागू होगीः–

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2015

1. परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) निकाय–निकाय का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश से है।

(3) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा से है।

(4) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(5) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(6) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश से है।

(7) पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) ठेकेदार–ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगरपालिका परिषद्, ऋषिकेश में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य, जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो।

(9) श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया–

नगरपालिका के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है :–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत या जनपद देहरादून में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है) :–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स–तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख

(4) प्रथम श्रेणी में–पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्डपी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) द्वितीय श्रेणी में–पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा।)

(6) तृतीय श्रेणी में–पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3. जमानत–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत–पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन–पत्र के साथ देनी होगी–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	30,000.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	20,000.00

4. पंजीकरण शुल्क–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश के कोष में जमा करनी होगीः–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	15,000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	10,000.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

5. पंजीकरण की अवधि–

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप ₹ 100.00 नगरपालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. नवीनीकरण की प्रक्रिया–

ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह ₹ 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य ₹ 100.00 होगा, नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पालिका कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगरपालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	3,000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	2,000.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	1,000.00

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण के सयम यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ–पत्र देना होगा।

7. निर्माण के सम्पादन की सीमा–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 1.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8. निविदा प्रपत्र की लागत–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :–

कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
अ–50,000.00 तक	100.00
ब–50,000.00 से 1,00,000.00 तक	200.00
स–1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	400.00
द–2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	500.00
य–4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	800.00

र–8,00,000.00 रुपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रुपये पर 10.00 रुपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगरपालिका से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा, निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकार–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा ऑकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 06 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 06 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10. धरोहर राशि–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम, 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत–पत्र किसान विकास–पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11. ठेकेदार का भुगतान–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 06 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12. कार्य पूर्ण करने की अवधि–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप में कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13. पंजीकरण का निरस्तीकरण–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत एस्टीमेट व साईट प्लॉन के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर, ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगरपालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14. जमानत जब्त करने का अधिकार–

यदि ठेकेदार नगरपालिका उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर नगरपालिका को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पालिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश।

दीप शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, किच्छा (ऊधमसिंह नगर)

पूर्व तहबाजारी शुल्क वसूली दर संशोधन उपविधि प्रकाशन

28 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 70/तहबाजारी दर संशो0 उपविधि प्रका0 बायलॉज/2015–16–नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293(2) एवं 298(2), सूची 1 में पी0एस0सी0 के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 346/तहबाजारी उपविधि/1998–99, दिनांक 01–01–1999 के द्वारा पूर्व प्रकाशित गजट दिनांक 06 फरवरी, 1999 के द्वारा तहबाजारी शुल्क वसूली की लागू दरों में निम्न संशोधन किया जाना सम्बन्धी नियमावली प्रकाशित कर स्वीकृत की है तथा उक्त ऐक्ट की धारा 300(1) प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है। जो निर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगीः–

नियमावली

संशोधित दरें

क्र0 सं0	नाम वस्तु	स्वीकृत वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
1.	मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, आटा, अंडी, कपास व रूई, घी, तेल साबुन, जीरा व अन्य मसाले एवं बिस्कुट, मूंगफली, चना, परमल, पकौड़ी	5.00 प्रति फड़ 2.00 प्रति खोमचा 3.00 प्रति ठेला	10.00 प्रति फड़ 05.00 प्रति खोमचा 06.00 प्रति ठेला
2.	बिस्कुट, मूंगफली, हलवाईओं द्वारा निर्मित मिठाई	4.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
3.	जूता फरीश	5.00 प्रति फड़ 3.00 प्रति ठेला	10.00 प्रति फड़ 06.00 प्रति ठेला
4.	जूता गांठने वाला	3.00 प्रति फड़	06.00 प्रति फड़
5.	फल बेचने पर फल बेचने पर (सिरबोझ)	5.00 प्रति फड़ 4.00 प्रति ठेला 2.00 प्रति	10.00 प्रति फड़ 06.00 प्रति ठेला 06.00 प्रति
6.	सब्जी हर प्रकार की बेचने पर सब्जी हर प्रकार की बेचने पर	5.00 प्रति फड़ 3.00 प्रति ठेला	10.00 प्रति फड़ 06.00 प्रति ठेला
7.	तरबूज, लौकी, खरबूजा लाने पर	10.00 प्रति बैलगाड़ी 12.00 प्रति 7.00 प्रति तांगा	20.00 प्रति बैलगाड़ी 25.00 प्रति डनलप गाड़ी 15.00 प्रति तांगा
8.	मनिहार	4.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
9.	कुम्हार	5.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
10.	पटवा	4.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
11.	टोकरी, बांसी	3.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़

1	2	3	4
12.	नाई	03.00 प्रति फड़	06.00 प्रति फड़
13.	अचार, मुरब्बा आदि	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
14.	भुर्जी	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
		03.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
15.	छिपा लिहाफ, कम्बल, कपड़ा बेचने पर	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
16.	बिसाती	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
17.	हलवाई	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
18.	पुराने कपड़े बेचने पर	08.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
19.	सुनार/सर्राफ	08.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
20.	मछली, अण्डे (फड़ लगाकर)	05.00 प्रति किलोग्राम	25.00 प्रति फड़
21.	मछली (आढ़त पर)	0.25 प्रति किलो	2.00 प्रति किलो
	थोक बिक्री	07.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
22.	बकरा कस्साब	08.00 प्रति फड़	12.00 प्रति फड़
23.	भेड़, बकरी, बकरा फरोश करने पर	10.00 प्रति रास	20.00 प्रति रास
24.	कसेरा (बर्तन अल्युमिनियम, पीतल, स्टील)	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
25.	कस्साव (भैंसा, सुअर)	07.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
26.	बीड़ी, सिगरेट आदि के विज्ञापन पर	10.00 प्रति रिक्शा	25.00 प्रति रिक्शा
		20.00 प्रति कार	40.00 प्रति कार
27.	चटाई, सूप बेचने पर व सींक, मूज, सन व देवला व अन्य	4.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
28.	चारपाई के पाये, लाठी, डंडा मूठ लगवाई	4.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
29.	मुर्गा, मुर्गी, बत्तख	02.00 प्रति अद्द	05.00 प्रति अद्द
30.	लकड़ी जलाने वाली	01.00 प्रति बीझ	05.00 प्रति बीझ
		03.00 प्रति रिक्शा	10.00 प्रति रिक्शा
		08.00 प्रति बैलगाड़ी	15.00 प्रति बैलगाड़ी
		15.00 प्रति ट्राली	30.00 प्रति ट्राली
31.	पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि पर रखकर बेचने पर	02.00 प्रति खोमचा	10.00 प्रति खोमचा
32.	लेमन, सोडा, मलाई, रबड़ी, आइसक्रीम	04.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
		03.00 प्रति ठेला	06.00 प्रति ठेला
33.	अगोला, बरसीन व अन्य चारा घास	02.00 प्रति रिक्शा	06.00 प्रति रिक्शा
		04.00 प्रति घोड़ातांगा	10.00 प्रति घोड़ातांगा
		07.00 प्रति बैलगाड़ी	15.00 प्रति बैलगाड़ी
		10.00 प्रति फड़	20.00 प्रति फड़
34.	इमारती लकड़ी, चौखट आदि	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
35.	रेता, बजरी, पत्थर, मिट्टी, कोयला, ईंट	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
		10.00 प्रति बैलगाड़ी	20.00 प्रति बैलगाड़ी
		25.00 प्रति ट्राली	50.00 प्रति ट्राली
		50.00 प्रति ट्रक	100.00 प्रति ट्रक

1	2	3	4
36.	भूसी पर	25.00 प्रति ट्राली 50.00 प्रति ट्रक	50.00 प्रति ट्राली 100.00 प्रति ट्रक
37.	लाटरी बिक्री (काउण्टर लगाने पर) लाटरी बिक्री (थोक पर) प्रति लाटरी	25.00 प्रति काउण्टर 25.00 प्रति सैकड़ा	50.00 प्रति काउण्टर 50.00 प्रति सैकड़ा
38.	नौटंकी, सर्कस, सिनेमा आदि (न0पा0 भूमि पर)	50.00 प्रति रात्रि	100.00 प्रति रात्रि
39.	डिन्डोला (इलेक्ट्रिक झूला)	03.00 प्रति दिन	10.00 प्रति दिन
40.	अनाज की तुलाई (ठेकेदार द्वारा तौलने पर तहबाजारी के रूप में देय होगी)	05.00 किलोग्राम पर 200 ग्राम	05.00 किलोग्राम पर 300 ग्राम प्रति किलो
41.	अनाज फुटकर में	01.00 प्रति 10 किलो में	15.00 प्रति 10 किलो में
42.	रेडीमेड व सिले हुये कपड़े बेचने पर	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
43.	गिलट व स्टील के जेवर बिक्रेता	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
44.	पौध हर प्रकार का	04.00 प्रति फड़	06.00 प्रति फड़
45.	दूध फेरी वालों से	02.00 प्रति साईकिल	03.00 प्रतिदिन साईकिल 04.00 मोटर साईकिल प्रतिदिन
46.	नीलाम द्वारा किसी वस्तु को मजमा लगाकर बेचने पर	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
47.	साईकिल रिक्शा मरम्मत	03.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
48.	कुट्टी मशीन द्वारा चारा काटकर बेचने पर	04.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
49.	सार्वजनिक स्थान पर सड़क पर खुली गाड़ी, ट्रक, कार, ट्राली, ट्रैक्टर, हेरो,प्लोवर व अन्य कृषि यन्त्र चाहे वह मरम्मत के लिए खड़े हो तो मैकेनिक दुकानदार को तहबाजारी देनी होगी	04.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
50.	साईकिल द्वारा पुराना प्लॉस्टिक लोहे का सामान आदि घूमकर खरीदने व बेचने पर	02.00 प्रति साईकिल	10.00 प्रति साईकिल
51.	बर्फ की सिल्ली	05.00 प्रति फड़	10.00 प्रति फड़
52.	अन्य वस्तुएं जो उल्लिखित नहीं हैं, बेचने पर	03.00 प्रति ठेला	10.00 प्रति ठेला
53.	कपड़ा प्रेस करने पर	03.00 प्रति ठेला 03.00 प्रति ठेला	06.00 प्रति ठेला 06.00 प्रति ठेला
54.	रस कोल्हू पर	05.00 प्रति ठेला	10.00 प्रति ठेला

नोट–फड़ का तात्पर्य, किसी भी सार्वजनिक स्थान, गली, मुहल्ला, नगरपालिका की भूमि अथवा खुले स्थान से है, जिसका एरिया 2 × 2 = 4 वर्ग मीटर होगा। यदि किसी फड़ की माप 1 मीटर अथवा 2 वर्ग मीटर से कम है तो उसको भी एक फड़ माना जायेगा।

महेन्द्र चावला,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, किच्छा,
(ऊधमसिंह नगर)।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, किच्छा (ऊधमसिंह नगर)

यूजर चार्ज उपविधि प्रकाशन

28 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 78/यूजर चार्ज उपविधि प्रका0/2012–13–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न उपविधि जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है। जिस किसी को भी इस सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद्, किच्छा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगर पालिका परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची–1झ के खण्ड (घ) एवं भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, 25–09–2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित करते हुए उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) की उपविधि बनायी जाती है।

अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम–इस नियम का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) नियम–2011 होगा।

2. प्रारम्भ–जैसा इन नियमों अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होंगे।

3. लागू होना–ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह, पृथक्कीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिये होगा। म्युनिसिपल ऐक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25–09–2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है। जिस किसी को भी इस सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव देने हों लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद्, किच्छा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगर पालिका परिषद्, किच्छा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298–झ (घ) एवं भारत का राजपत्र, नई दिल्ली 25–09–2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को।

उपविधि नियमावली

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) उपविधि, 2011 कहलायेगी।

2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा

1. "नगरपालिका" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर से है;

2. "अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्" का तात्पर्य अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर से है;

3. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर से है;

4. "स्वच्छता समिति" का तात्पर्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा मौहल्लों में गठित स्वच्छता समितियों से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) शुल्क सूची

1. प्रति परिवार/घर ₹ 10.00 प्रति माह।

2. बाजार क्षेत्र/हाट बाजार प्रति दुकान, ₹ 10.00 प्रति माह।

3. मलिन बस्ती प्रति घर, ₹ 10.00 प्रति माह परन्तु बी0पी0एल0 राशन कार्ड के आधार पर ₹ 05.00 प्रति माह।

4. होटल प्रति रूम ₹ 25.00 प्रति माह।

5. भोजनालय/रेस्टोरेन्ट, ₹ 25.00 प्रति माह।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थान और संस्थाएं, ₹ 50.00 प्रति माह।

7. निकटवर्ती मिल/फैक्ट्री (जो अपने अपशिष्टों को नगर सीमा से ले जाते हैं) ₹ 200.00 प्रति माह।

8. सीमान्तर्गत के मिल/फैक्ट्री, ₹ 200.00 प्रति माह।

9. अन्य व्यवसाय, ₹ 100.00 प्रतिमाह।

10. प्रति बारात घर ₹ 500.00 प्रति माह।

11. नुमाईश प्रदर्शनी में ₹ 5000.00 प्रति माह।

शुल्क वसूली

1. नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद द्वारा की जायेगी।

2. नियम समय के अन्दर शुल्क (यूजर चार्ज) भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू:राजस्व की भाँति वसूली जायेगी।

3. शुल्क वसूली हेतु नगर पालिका परिषद्, किच्छा/SWM क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर मांग/वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रति माह/प्रतिदिन अथवा नगर पंचायत/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय–समय पर जन सुविधानुसार शुल्क वसूल की जायेगी। वार्षिक शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) एवं दण्ड वसूलने हेतु नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पालिका परिषद्, किच्छा द्वारा अधिकृत SWM क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियां अधिकृत होगी।

4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय का संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

5. उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) वसूली अनुसूची में समय–समय पर जन सुविधानुसार नियमों में परिवर्तन का अधिकार नगर पालिका परिषद्, किच्छा बोर्ड में निहित है।

शास्ति/दण्ड

नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त व्यवस्था के तहत कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1000.00 तक होगी। यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता (यूजर) कूड़ा अलग–अलग डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुने देय होंगे।

महेन्द्र चावला,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, किच्छा,
(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/302–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।